

# समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

मिशन निदेशक-सह-प्रधान सचिव, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक-909, दिनांक-02.07.2018 से प्राप्त निदेश के आलोक में इस जिलान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों से नियोजनमुक्त(अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) कार्यपालक सहायकों के पुनर्नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में समर्पित आवेदन पर जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा जॉर्चोंपरान्त23(तेईस) कार्यपालक सहायकों का अलग से पैनल संधारित किया गया है। उक्त पैनल से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-590/पं0, दिनांक-29.06.2018 तथा पत्रांक-792, दिनांक-18.08.2018 से मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना हेतु इस जिला के सभी प्रखण्डों में 13(तेरह) कार्यपालक सहायक तथा जिला अन्तर्गत जिला के सभी 170 ग्राम पंचायत कार्यालयों के लिए एक-एक कार्यपालक सहायक की प्राप्त अधियाचना के आलोक में जिला स्तर पर नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों के नवनिर्मित पैनल से कुल 23(तेईस) अभ्यर्थियों में से 10(दस) की सेवा निम्न प्रकार जिला पंचायत कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराया जाता है :-

क्रम सं०	पैनल के चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	कोटि	आवंटित विभाग/कार्यालय
1	अर्पणा कुमारी	पिता- शिवनन्दन यादव, ग्राम-रहिका टोला, पो0-मुरलीगंज, थाना-मुरलीगंज, जिला मधेपुरा	10.02.1992	पि0व0	प्रखण्ड कार्यालय, मुरलीगंज
2	श्री राहुल कुमार	पिता- राम नारायण महतो, ग्राम-बेला, बगरौली, पो0-बरहशेर, थाना-बिहरा, जिला सहरसा	21.07.1992	अ0पि0व0	प्रखण्ड कार्यालय, चौसा
3	काजल कुमारी	पिता-अशोक कुमार, ग्राम-वासुदेवपुर,वार्ड नं0-06, पो0-कुरसंडी, थाना-पुरैनी,जिला मधेपुरा	25.01.1995	अ0पि0व0	प्रखण्ड कार्यालय, पुरैनी
4	पार्वती कुमारी	पिता-कैलाश पंडित, ग्राम- बेलहाघाट, वार्ड नं0-05, मधेपुरा, थाना+जिला-मधेपुरा	03.02.1995	अ0पि0व0	प्रखण्ड कार्यालय, मधेपुरा
5	ज्योति कुमारी	पिता-विजेन्द्र प्रसाद यादव, सा0-आनंद बिहार, वार्ड नं0-02, मधेपुरा कॉलेज से उत्तर, थाना+जिला -मधेपुरा	23.03.1996	पि0व0	प्रखण्ड कार्यालय, मधेपुरा
6	प्रध्या कुमारी	पिता-कीर्ति नारायण साह, सा0-आदर्श नगर वार्ड नं0-07, थाना+जिला- मधेपुरा	08.10.1996	अ0पि0व0	प्रखण्ड कार्यालय, मधेपुरा
7	श्री संजय कुमार सुमन	पिता-सिकन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम +पो0-बैजनाथपुर, वार्ड सं0-08, थाना-सौर बाजार, जिला सहरसा	24.06.1985	पि0व0	प्रखण्ड कार्यालय, ग्वालपाड़ा
8	अनामिका सोनी	पिता-दिनेश प्रसाद साह, सा0-मौ शारदे इनफोटेक, मुख्य डाकघर से पूरब, वार्ड नं0-18, थाना+जिला-मधेपुरा	04.03.1988	पि0व0	प्रखण्ड कार्यालय, ग्वालपाड़ा
9	श्री रवि प्रकाश	पिता-नन्द किशोर साह, ग्राम-मुरलीगंज वार्ड नं0-07, पो0+थाना-मुरलीगंज,जिला मधेपुरा	05.12.1991	अ0पि0व0	प्रखण्ड कार्यालय, कुमारखण्ड
10	श्री कुँवर कुमार	पिता-महाजन राम, ग्राम+पो0-सुखासन, थाना- सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा	15.10.1992	अनु0जा0	प्रखण्ड कार्यालय, मुरलीगंज

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा के अधियाचना के आलोक में नियोजनमुक्त(अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) कार्यपालक सहायकों के पुनर्नियोजन हेतु उक्त नामित अभ्यर्थी को वरीयता एवं अद्यतन आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए नामित किया गया है। उपर्युक्त नामित अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र जिला पंचायत कार्यालय, मधेपुरा द्वारा निर्गत किया जाएगा, जिसमें संविदा पर नियोजन हेतु सेवा संबंधी सभी शर्तों का उल्लेख संबंधित कार्यपालक सहायक के नियोजन पत्र पर अंकित किया जाए तथा उपर्युक्त नामित कार्यपालक सहायक का नियोजन प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप किया जाए। साथ ही नियोजन पत्र निर्गत करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थियों को पदस्थापित प्रखंड में योगदान करने हेतु निदेशित करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक सहायकों को प्राथमिकता यथा जहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया है, पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है और वैसे पंचायत जहाँ का कार्य प्रगति काफी संतोषजनक हो, के आधार पर पंचायतों में प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

### नियोजन के लिए शर्तें:-

1. नियोजन ईकाई अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र यथा- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र/ ओबीसी (यदि लागू हो), आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि की सत्यता की जाँचकर स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात ही नियोजन पत्र निर्गत करेंगे।
2. नियोजन बिल्कुल ही अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. नियोजन होने पर इनकी कार्यावधि अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार तथा सेवा संतुष्टि के आधार पर विभागीय नियमानुसार इसे बढ़ायी जा सकेगी।
4. इनका मानदेय अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार पटना के पत्रांक-बि0प्र0सु0 मि0सो0/योजना-02/2012(खण्ड)163/ DSC ,दिनांक-01.09.2015 से प्राप्त निदेश के आलोक में मानदेय 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैंतालिस) रुपये प्रति माह देय होगा तथा सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा तत्क्षण समाप्त किया जा सकता है।
6. योगदान के लिये किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं है।
7. योगदान के समय अभ्यर्थी को निम्न हार्डवेयर होना अनिवार्य होगा अन्यथा योगदान नहीं किया जा सकेगा :-
  - (1) एक डेस्क टॉप
  - (2) एक प्रिंटर (ब्लैक एण्ड व्हाइट)
  - (3) एक यू0पी0एस0
  - (4) इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
8. कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी, इसमें लगने वाला पेपर, कार्टेज आदि की आपूर्ति संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी।
9. इन्टरनेट कनेक्शन का बिल नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
10. नियोजन के समय अभ्यर्थी को सिविल सर्जन से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति समर्पित करना होगा।
11. नियोजन के समय अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में एकरारनामा समर्पित करना होगा।  
इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

ह/-  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा

ह्रापांक.....721-2.....स्था0, मधेपुरा, दिनांक- 05-10-2018

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवंसंबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

5/10/18  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा